भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2753
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु संबंधी घटनाओं से प्रभावित किसानों को सहायता

2753. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2025 में जलवायु संबंधी घटनाओं से प्रभावित किसानों को प्रदान की गई राहत और समर्थन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) (फसल बीमा) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीतियों के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, आपदा प्रबंधन से प्रभावित लोगों को राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारें, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने पूर्व-निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत राज्यों को आवंटित और जारी किए गए फंड का विवरण वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अनाज, मिलेट्स, दलहन या तिलहन तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए बुआई पूर्व से उपज तक फसल नुकसान की स्थिति में व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है। यह योजना बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, ड्राइ-स्पेल्स, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग/बिजली, आंधी, चक्रवात, बवंडर तथा टॉर्नेडो जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले व्यापक उपज नुकसान को सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) के कारण खेत स्तर पर उपज हानि तथा चक्रवात, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल उपरांत होने वाले नुकसान के लिए भी कवरेज प्रदान करती है। दिनांक 30.11.2025 तक, खरीफ 2016 में योजना के आरंभ से लगभग 2,301 लाख किसानों को दावों के रूप में 1,90,374 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है।

सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों एवं केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से 22 अनिवार्य फसलों (14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें (जूट और खोपरा)) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। एमएसपी तय करते समय उत्पादन लागत, मांग-आपूर्ति के रुझान, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता और व्यापार की शर्तों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। एमएसपी, किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित करता है। एमएसपी में वृद्धि से किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है, जैसा कि खरीद के स्तर और किए गए एमएसपी भुगतानों में लगातार वृद्धि से स्पष्ट है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) तक, 117.32 करोड़ मीट्रिक टन फसलों की खरीद की गई है, जिस पर 24.49 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए निर्धारित एमएसपी का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(विपणन सीजन के अनुसार) (रुपए/क्विंटल)

क्रं. सं.	वस्तुएँ	केएमएस 2025-26
	<u>खरीफ फसलें</u>	
1	धान (सामान्य)	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	3699
	ज्वार (मालदंडी)	3749
3	बाजरा	2775
4	रागी	4886
5	मक्का	2400
6	अरहर	8000
7	मूंग	8768
8	उड़द	7800
9	कपास (मध्यम रेशा)	7710
	कपास (लंबे रेशा)	8110
10	मूंगफली	7263
11	सूरजमुखी के बीज	7721
12	पीली सोयाबीन	5328
13	तिल	9846
14	नाइजर बीज	9537
	<u>रबी फसलें</u>	**आरएमएस 2026-27**
15	गेहूं	2585
16	जौ	2150
17	चना	5875
18	मसूर	7000
19	रेपसीड और सरसों	6200
20	कुसुम	6540
	<u>व्यावसायिक फसलें</u>	2025-26
21	जूट	5650
		2025
22	खोपरा (मिलिंग)	11582
	खोपरा (बॉल)	12100

****